भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1500

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।

09 श्रावण, 1948 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों पर यौन शोषण संबंधी सामग्री पर प्रतिबंध

1500. श्री नीरज डांगी:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉमों पर बाल यौन शोषण से संबंधित विज्ञापन और अन्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी सामग्री को तत्काल निष्क्रिय करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इंस्टाग्राम पर प्रदर्शित विज्ञापनों के संबंध में सरकार की नीति क्या है तथा भारत में इस्तेमाल किए जा रहे प्लेटफॉर्मों पर ऐसी सामग्री प्रदर्शित किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** सरकार की नीतियों का उद्देश्य बालकों सहित अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इंटरनेट के विस्तार और बालकों सहित अधिक से अधिक नागरिकों के इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचने के साथ, अनुचित सामग्री के संपर्क में आने का जोखिम और इन गतिविधियों के हानिकारक प्रभाव भी बढ़ गए हैं। सरकार इन प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अपार अवसरों और इनसे होने वाले नुकसान से अवगत है। बालकों और किशोरों को अनुचित विषय-वस्तु के संपर्क में आने और सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार ने ऐसी सूचना के प्रवाह को रोकने के लिए कई उपाय अपनाए हैं।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")</u>

आईटी अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों जैसे पहचान की चोरी (धारा 66 ग), प्रतिरूपण (धारा 66 घ), गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66 ड़), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने (धारा 67, 67 क, 67 ख) के लिए दंड का प्रावधान करता है। यह पुलिस को अपराधों (धारा 78 और 80) की जांच करने का अधिकार भी देता है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम")</u>

आईटी नियम मध्यस्थों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक सावधानी का पालन करने के लिए विशिष्ट दायित्व डालते हैं और कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करते है कि वे बालकों के लिए हानिकारक, अश्लील, पोर्नोग्राफिक, दूसरे की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली, लिंग के आधार पर अपमान या परेशान करने वाली या किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, अपडेट या साझा न करें।

आईटी नियमों में प्रदान किए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में मध्यस्थों की विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्रदान की गई तृतीय पक्ष की जानकारी से अपनी छूट खो देते हैं। वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।

<u>आईटी नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन:</u>

- आईटी नियमों में हाल के संशोधनों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा तर्कसंगत सूचना प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है।
- किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से की गई शिकायत प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर, किसी भी सामग्री के संबंध में, जिसमें पूर्ण/आंशिक नग्नता शामिल है, किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र और कृत्रिम रूप से मॉर्फ्ड की गई छवियों को उजागर करने के लिए मध्यस्थ को ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए सभी उचित देखभाल और व्यावहारिक उपाय करने चाहिए, जिसे इसके द्वारा होस्ट संग्रहीत, प्रकाशित या प्रेषित किया गया है।
- मध्यस्थ, ऐसे मामलों में जहां उल्लंघन में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत अपराध करना शामिल है, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के साथ पठित भारतीय न्याय संहिता, 2023, या यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जो रिपोर्टिंग को अनिवार्य करता है, को लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे अपराध की रिपोर्ट करनी चाहिए।

<u>एआई जनित सामग्री के कारण होने वाले नुकसान का निपटान करना:</u>

सरकार ने डीपफेक और एआई-जनित सामग्री सहित कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (एसजीआई) से उत्पन्न होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधन करके नियामक ढांचे को और सुदृढ़ किया है। संशोधन से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

• अनुमेय एआई जनित सामग्री के लिए स्पष्ट लेबलिंग और ट्रेस करने योग्य मेटाडेटा सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों की आवश्यकता होती है, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री की पहचान कर सकें और धोखे या दुरुपयोग को रोक सकें।

• यह उपयोगकर्ता की जवाबदेही और प्लेटफॉर्म संबंधी सम्यक सावधानी को और सुदृढ़ करता है, जिसमें गैरकानूनी एआई-जनित सामग्री के कानूनी परिणामों के बारे में अनिवार्य उपयोगकर्ता जागरूकता और सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए सुदृढ़ अनुपालन दायित्व शामिल हैं।

• महत्वपूर्ण रूप से, दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से बाल यौन शोषण सामग्री, गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी, प्रतिरूपण और अन्य हानिकारक एआई-जनित सामग्री को कवर करते हैं, जिससे प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री को रोकने और पता चलने पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।

- अनुपालन के लिए समय-सीमा को सुदृढ़ करना, जिसमें उपयुक्त सरकार या न्यायालय के आदेशों से वैध तर्कसंगत सूचना पर वास्तविक जानकारी पर गैर-कानूनी सूचना को हटाने के लिए कम समय-सीमा (समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे की गई) और शिकायत निवारण (विशेष श्रेणियों जैसे नग्नता/प्रतिरूपण आदि सहित) (संवेदनशील मामलों के लिए समय-सीमा क्रमशः 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे) कर दी गई।

  • मध्यस्थ स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उचित और उपयुक्त तकनीकी उपायों का नियोजन करने के लिए बाध्य हैं, ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी बनाने, उत्पन्न करने, संशोधित करने, बदलने, प्रकाशित, संचारित, साझा करने या प्रसारित करने की अनुमति न दी जा सके, बशर्ते कि, किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी जो किसी भी समय लागू कानून का उल्लंघन करती हो।

आईटी नियम महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (एसएसएमआई) यानी भारत में 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को बलात्कार, बाल यौन शोषण या आचरण को दर्शाने वाले किसी भी रूप में किसी भी कार्य या सिमुलेशन को दर्शाने वाली जानकारी की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उचित तकनीकी उपायों का नियोजन करने के लिए उचित प्रयास करने हेतु अनिवार्य करते हैं। चाहे वह स्पष्ट हो या निहित, या कोई भी जानकारी जो सामग्री में पहले से हटाई गई जानकारी के समान हो।

मुख्य रूप से संदेश की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक आदेश, या उपरोक्त से संबंधित अपराध के लिए या बलात्कार, यौन स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री के संबंध में उकसाना, जिसके लिए कम से कम पांच वर्ष की अवधि का कारावास दंडनीय है, से

संबंधित अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, जांच, अभियोजन या दंड के प्रयोजनों के लिए अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। ।
एसएसएमआई अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने, स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त करने और अनुपालन और कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए भारत में आधारित भौतिक पते को साझा करने के लिए भी बाध्य हैं।

<u>सोशल मीडिया पर सीएसएएम सामग्री:</u>

भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री सीएसएएम से जुड़े विज्ञापनों के प्रसार का आरोप लगाने वाली खबरों को गंभीरता से लिया है और संबंधित मध्यस्थ से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ("एनसीपीसीआर") ने भी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया है।

<u>परामर्शी निदेश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी):</u>

सरकार ने सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों को आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के तहत सम्यक सावधानी बरतने संबंधी दायित्वों के पालन पर जोर देते हुए कई परामर्शी निदेश जारी किए हैं। जारी किए गए परामर्शी निदेश और तैयार एसओपी का विवरण इस प्रकार है:

- दिनांक 29.12.2025 की परामर्शी निदेश के माध्यम से, सरकार ने मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अभद्र, अशोभनीय, पोर्नोग्राफ़िक और अन्य गैरकानूनी सामग्री की होस्टिंग, प्रकाशन, प्रसारण, साझा करने या अपलोड करने से रोकने के लिए आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के तहत वैधानिक सम्यक सावधानी बरतने संबंधी दायित्वों के पालन के संबंध में दोहराया। इसने मध्यस्थों को अपने आंतरिक अनुपालन ढांचे, सामग्री मॉडरेशन पद्धतियों और उपयोगकर्ता प्रवर्तन तंत्र की तत्काल समीक्षा करने और आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के प्रावधानों का सख्त और निरंतर पालन सुनिश्चित करने की भी परामर्शी निदेश गए।
- अपमानजनक, मानहानिकारक, आपत्तिजनक, अपमानजनक और भ्रामक रूप से उत्पन्न जानकारी के निर्माण, होस्टिंग, प्रकाशन, प्रसारण, साझा करने या अपलोड करने के संबंध में मध्यस्थों को दिनांक 16.03.2026 को एक परामर्शी निदेश जारी किया गया था।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी (एनसीआईआई) सामग्री के प्रसार को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया ("एसओपी") तैयार की गई है और दिनांक 11.11.2025 को जारी की गई है। एसओपी पीड़ितों, मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि सहमति के बिना साझा की गई अंतरंग या मॉर्फ्ड छवियों सहित एनसीआईआई सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के विरुद्ध त्वरित और समान कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

<u>हानिकारक सामग्री को अवरुद्ध करना:</u>

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3) (ख) गैरकानूनी सामग्री तक पहुंच को हटाने/अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना प्रदान करती है। शिकायतों के आधार पर, सरकार नियमित रूप से ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफार्मों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क, बीएनएस की धारा 294 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में सार्वजनिक पहुंच हेतु 50 ओटीटी प्लेटफार्मों को अक्षम किया है।

*****